

न्यायालय सहजीलदार कठ्ठर (अलवर) राज.

प्रकार करिये रिपोर्ट पटवारी हल्का सिमुची याना जगदीश S/O जयनारायण


प्रकरण अर्जागत पत्रा 31/12/18

प्रकरण संख्या - 63/2018/RA


निर्णय दिनांक - 31-12-18

प्रभावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि याना सिमुची की आ.ख.न. 810 कुल रकमा 0-91 किरान जमीन गोपुरा में से 0-01 रकमा पर की जगदीश S/O जयनारायण पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर पत्रकारिता कर लगाया गया है। इस पर पटवारी हल्का सिमुची द्वारा दिनांक कर को उक्त कर विरुद्ध कायूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मध्य लाईस भू.अ.निरी. रेवेरती रेता के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमण जगदीश S/O जयनारायण जाति प्रायण निवासी सिमुची को नू. श.अ.स. अधिनियम 1956 की धारा 31 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस प्राप्त तामील प्राप्त होने पर शामिल प्रभावली किया गया। अतिक्रमण उपरि उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल प्रभावली ड।

उक्त रकमा आ.ख.न. 810 रकमा 0-91 में से 0.01 रकमा किरान गोपुरा के जो नियमन के योग्य नहीं है द्विहाजा वीररायण का अतिक्रमण रकमा से वेदखल विचार जाने के अधिका रिचे जाने है एवं टण्ड स्वरूप नामान 2 paise को 60 गुना 1.00 रकमा में नलटी आरोपित की जाती है गांवा कायमी हेतु लीआर को लिखा जाये, पनलटी वरुली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी सिमुची भू.अ.निरी. रेवेरती रेता को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दपतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहजीलदार
 कठ्ठर (अलवर) राज.

अपीलिय - ज. हा. न. स. 4 क. 58 क. 80 ... इन व. 6
 वर्ष 2018-19 ... रकमा 1.00 ...
 जो कायमी की गई


 11/3/19
 सहजीलदार कठ्ठर (अलवर) राज.